



कमिश्नरेट वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक- 18-11-2025

“ऑपरेशन कनविकशन”

थाना- रामनगर

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म, हत्या एवं पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो-III वाराणसी द्वारा अभियुक्त इरशाद को मृत्युदण्ड एवं 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविकशन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0234/2024 धारा 137(2), 65(2), 103(1), 238 BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 18.11.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो-III वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त इरशाद पुत्र जहाँगीर अली निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी को मृत्युदण्ड व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



संदीप कुमार जायसवाल
विशेष लोक अभियोजक
पाक्सो वाराणसी



निरीक्षक राजू सिंह,
विवेचक



का0 अन्तलेश,
पैरोकार थाना रामनगर



म0हे0का0 अनीता गोंड,
कोर्ट मोहर्रि